

सेवा में,

सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

विषय:- आराजी नं. 99/4 एण्ड आराजी नं0 107 मौजा मैरी कानपुर ग्वालियर हाइवे तहसील झाँसी जनपद झाँसी पर प्रस्तावित व्यवसायिक अशोक ट्रेड सेन्टर भवन निर्माण हेतु अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 53/जे.डी.ए.-अना0 प्रमाण पत्र-विविध-(2018-19) दिनांक 10 अप्रैल, 2018 एवं आवेदक का प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में।
यू0आई0डी0नं0 2018/44142/जे0एस0आई0/झाँसी/124/डी.डी.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में आवेदक/मेसर्स श्री रोहित गिरि, अशोक इन्फ्रा प्रोपर्टी प्रा0लि0 निवासी सीपरी बाजार झाँसी द्वारा प्रस्तावित स्थल आराजी नं0 99/4 एण्ड आराजी नं0 107 मौजा मैरी कानपुर ग्वालियर हाइवे पर अशोक ट्रेड सेन्टर भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित व्यवसायिक भवन निर्माण हेतु आवेदक/मेसर्स द्वारा पत्र के साथ संलग्न संशोधित मानचित्रों एवं अभिलेखों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

1. भवन संरचना-

1. कुल भूखण्ड एरिया- 2228.20 वर्ग मी0।
2. भूतल कवर्ड एरिया- 684.4 वर्ग मी0।
- प्रथम फ्लोर कवर्ड एरिया- 593.8 वर्ग मी0।
- द्वितीय फ्लोर कवर्ड एरिया- 601.0 वर्ग मी0।
- तृतीय फ्लोर कवर्ड एरिया- 601.0 वर्ग मी0।
- चतुर्थ फ्लोर कवर्ड एरिया- 642.4 वर्ग मी0।
- पंचम फ्लोर कवर्ड एरिया- 641.3 वर्ग मी0।
- षष्ठम फ्लोर कवर्ड एरिया- 641.3 वर्ग मी0।
- भवन की ऊँचाई - 23.4 मीटर।

3. बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया 546.2 वर्ग मी0

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0की- डी-1 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

2. ढाँचागत व्यवस्था-

1-पहुँच मार्ग- प्रस्तुत मानचित्र में भवन के सामने 24 मी चौड़ा रोड़ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया मानको के अनुसार उपलब्ध है तथा प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.80 मी0 मानको के अनुसार उपलब्ध है।

2-सेट बैक- प्रस्तावित भवन का सेट बैक निम्नवत् है।

- ए0. अग्रभाग - 8.00 मी0।
- बी0. पृष्ठभाग - 8.00 मी0।
- सी0. पार्श्व भाग प्रथम - 8.00 मी0।
- डी0. पार्श्व भाग द्वितीय - 8.00 मी0।

सेट बैक एरिया में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

3-निकास मार्ग- प्रस्तावित भवन में 02 स्टेयर जिनकी चौड़ाई 1.50 मी0 प्राविधानित है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

CFO

4-रिफ्यूज एरिया का विवरण - निल

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था - नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1. भूमिगत टैंक - 1,00,000 ली० क्षमता का वांछनीय है।
2. पम्प - अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास मेनपम्प 2280 एल०पी०एम० क्षमता विद्युत चालित पम्प डीजल पम्प 2280 एल०पी०एम० क्षमता, जाकी पम्प 180 एल०पी०एम० क्षमता का वांछनीय है।
3. होजरील - प्रस्तावित भवन में होजरील लैंडिंग वाल्व आई०एस०-3844 मानको के अनुसार प्रत्येक तल पर वांछनीय है।
4. वेटराइजर - वेटराइजर वांछनीय है।
5. प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेण्ट्स होज केबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप तथा फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई०एस०-13039-1991 के अनुसार वांछनीय है।
6. हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम वांछनीय है।
7. स्वाचालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम वांछनीय है।
8. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम वांछनीय है।
9. डाउन कमर सिस्टम आवश्यक नहीं है।
10. टेरिस टैंक - प्रश्नगत भवन का टेरिस टैंक 10,000 ली० क्षमता का स्थापित कराया जाना वांछनीय है।
11. टेरिस पम्प - आवश्यक नहीं है।
12. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)-प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०-2190 के अनुसार वांछनीय है।
13. स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम - फायर चैकडोर स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग उचित स्थानों पर आवश्यक है।
14. प्रेशराइजेशन प्रणाली - भवन में प्रेशराइजेशन आवश्यक नहीं है।
15. एग्जिट साईनेज - सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किया जाना वांछनीय है।
16. पी०ए०सिस्टम - पी०ए०सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में वांछनीय है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तावित आराजी नं. 99/4 एण्ड आराजी नं० 107 मौजा मैरी कानपुर ग्वालियर हाइवे तहसील झाँसी जनपद झाँसी पर प्रस्तावित अशोक ट्रेड सेन्टर भवन निर्माण हेतु अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित/प्राविधानित व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया -2016 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराए जायेंगे तथा भवन निर्माणोपरान्त भवन का उपयोग करने से पहले भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मानको के अनुसार पूर्ण कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं भवन का उपयोग असुरक्षित एवं अवैधानिक होगा।

सलंगन-अनुमोदित मानचित्र

18/03/19
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मु. अग्निशमन अधिकारी
झाँसी